मध्यप्रदेश राज्य

बनाम

सेवा सिंह

जून 13, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत व बी.पी. सिंह, न्यायाधिपति]

दण्ड संहिता, 1860-धारा 304 (भाग II)-उपनिरीक्षक द्वारा अभिरक्षा में रहते हुए व्यक्ति के साथ मर्मस्थल पर थप्पड़ व लात के साथ मारपीट जिसके परिमाणस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई-धारा 304 (भाग II) में दोषसिद्धि-उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त- न्यायोचित पाया गया, चिकित्सीय साक्ष्य से बाहरी व आंतरिक चोट नहीं होना स्पष्ट रूप से दर्शित- विचारण न्यायालय जिस अभियोजन साक्षी की साक्ष्य पर आश्रित, वह विरोधाभासी पाई गई व चिकित्सीय साक्ष्य से भिन्न पाई गई-साक्ष्य।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक के पुलिस अभिरक्षा में उसके साथ प्रत्यर्थी-थानाधिकारी द्वारा थप्पड़ मारा गया व उसके मर्मस्थल पर लात मारी गयी जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। विचारण न्यायालय द्वारा पी.डब्ल्यू 06 की साक्ष्य पर आरक्षित होते हुए प्रत्यर्थी को धारा 304 (भाग II) भादंसं में दोषसिद्ध घोषित करते हुए दण्डित किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को अपास्त किया गया। इस कारण से यह अपील पेश की गई।

न्यायालय द्वारा अपील खारित करते हुए यह पाया गयाः मुख्य तौर पर दो कारण से उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त निर्देशित किया गया (अ) पी.डब्ल्यू 06 की साक्ष्य में स्पष्ट विरोधाभास और (ब) चिकित्सीय साक्ष्य से उसके द्वारा दिये गये संस्करण का भिन्न होना। डाक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमोर्टम की कार्यवाही की गई थी। जिसमें कोई आंतरिक व बाहरी चोट नहीं होना व मृत्यु का कारण अज्ञात होना अंकित किया गया था। फोरेंसिक जांच पर ethyl alcohol की उपस्थिति भी अंकित की गई थी। यदि मृतक को उसके मर्मस्थल पर लातों से मारपीट की जाती व थप्पड़ मारे जाते जैसाकि पी.डब्ल्यू 06 द्वारा कथित किया गया है तो निश्चित ही उसके शरीर पर चोट के निशान पाये जाते। चिकित्सक की साक्ष्य इसे पूर्ण रूप से खारिज करती है। उच्च न्यायालय द्वारा पी.डब्ल्यू 06 की साक्ष्य को सही प्रकार से अविश्वसनीय पाया गया है। अनुसंधान के दौरान उसके द्वारा यह कथित किया गया कि अभियुक्त द्वारा मृतक को थप्पड़ मारा गया था। जांघ पर लात मारना या मृतक के नीचे गिरने के पश्चात् अभियुक्त द्वारा उसको लात मारने का कोई कथन उसके द्वारा नहीं किया गया था। पी.डब्ल्यू 02 (पी.डब्ल्यू 06 का भाई) द्वारा अपनी साक्ष्य में यह कथन किये गये थे कि पी.डब्ल्यू 06 ने उसको यह बताया था कि सब इंसपेक्टर पाण्डे व अभियुक्त द्वारा मृतक के साथ मारपीट की गई थी। पी.डब्ल्यू 06 की साक्ष्य इससे पूर्णतः भिन्न है। यह असत्य है कि अभिरक्षा हिंसा के मामले में प्रत्येक्ष साक्ष्य व प्रत्येक्ष स्वतंत्र गवाह प्राप्त होने की संभावना कम होती है। वर्तमान मामले में चिकित्सीय साक्ष्य से

यह स्पष्ट है कि कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं थी। इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश में दुर्बलता नहीं होने से हस्तक्षेप का कोई कारण उपलब्ध नहीं है। [पैरा 6 व 7] [1016-C,D,E,F,G]

मध्यप्रदेश राज्य बनाम श्यामसुन्दर त्रिवेदी व अन्य [1995] 4 SCC 262, संदर्भित।

आपराधिक अपील अधिकार क्षेत्रः आपराधिक अपील सं. 1275/2001

Crl. A. No. 1461/998 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 11.07.2000 से।

गोविन्द गोयल, सी.डी. सिंह, मेरूसागर समनतरे व वैराग्य वर्धान अपीलांट की ओर से।

मर्दुला रे भारद्वाज (एन.पी.) प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया -

डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायाधिपति। 1. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्रत्यर्थी को दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध पेश की गई है। प्रत्यर्थी को विद्वान अपर सैशन न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 304 भाग II भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षिप्त में 'भादंसं) में दोषसिद्ध घोषित करते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी को दोषमुक्त करने के

निर्देश दिये गये।

2. संक्षेप में तथ्यों का विवरण निम्न प्रकार से हैंः-

अच्छेलाल (इसके बाद' ') को अभिरक्षा में रहते हुए अभियुक्त, थानाधिकारी द्वारा थप्पड़ व उसके टेस्टिकल्स में लात से मारपीट की गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तीन चिकित्सकों के पैनल द्वारा अच्छेलाल के शव का पोस्टमोर्टम दिनांक 14.12.1987 को किया गया। पोस्टमोर्टम रिपोर्ट Ex. P-1A है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई। मृत्यु का कारण 'अज्ञात' बताया गया है। मृतक का विसरा संरक्षित रखा गया था। विसरा को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर में भेजा गया था व रिपोर्ट Ex. P-21 के अनुसार ethyl alcohol की उपस्थिति पाई गई थी।

3. प्रत्यर्थी द्वारा यह दलील दी गई कि उसके द्वारा मृतक के साथ मारपीट नहीं की गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा गवाह पी.डब्ल्यू 06 कुसुम कि साक्ष्य पर आश्रित होते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित कर उपरोक्तानुसार दण्डित किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि पी.डब्ल्यू 06 की साक्ष्य विश्वनीय नहीं है व किसी भी स्थिति में चिकित्सीय साक्ष्य से पी.डब्ल्यू 06 द्वारा पेश संस्करण पूरी तरह से खारिज किये जाने योग्य है।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट-राज्य सरकार द्वारा अपील के समर्थन में यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा गलत तरीके से प्रत्यर्थी

को दोषमुक्त घोषित करने के निर्देश पारित किये गये हैं। पी.डब्ल्यू 06 की साक्ष्य को स्वीकर किया जाना चाहिए था व चिकित्सीय साक्ष्य व चक्षुदर्शी साक्ष्य में कोई विरोधाभास नहीं है।

5. नोटिस की तामील होने के बावजूद प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

6. मुख्य तौर पर दो कारण से उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त निर्देशित किया गया (अ) पी.डब्ल्यू 06 की साक्ष्य में स्पष्ट विरोधाभास और (ब) चिकित्सीय साक्ष्य से उसके द्वारा दिये गये संस्करण का भिन्न होना। डाक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमोर्टम की कार्यवाही की गई थी। जिसमें कोई आंतरिक व बाहरी चोट नहीं होना व मृत्यु का कारण अज्ञात होना अंकित किया गया था। फोरेंसिक जांच पर ethyl alcohol की उपस्थिति भी अंकित की गई थी। यदि मृतक को उसके मर्मस्थल पर लातों से मारपीट की जाती व थप्पड़ मारे जाते जैसाकि पी.डब्ल्यू 06 द्वारा कथित किया गया है तो निश्चित ही उसके शरीर पर चोट के निशान पाये जाते। चिकित्सक की साक्ष्य इसे पूर्ण रूप से खारिज करती है। उच्च न्यायालय द्वारा पी.डब्ल्यू 06 की साक्ष्य को सही प्रकार से अविश्वसनीय पाया गया है। अनुसंधान के दौरान उसके द्वारा यह कथित किया गया कि अभियुक्त द्वारा मृतक को थप्पड़ मारा गया था। जांघ पर लात मारना या मृतक के नीचे गिरने के पश्चात् अभियुक्त द्वारा उसको लात मारने का कोई कथन उसके द्वारा नहीं किया गया था। पी.डब्ल्यू 02 (पी.डब्ल्यू 06 का भाई) द्वारा

अपनी साक्ष्य में यह कथन किये गये थे कि पी.डब्ल्यू 06 ने उसको यह बताया था कि सब इंसपेक्टर पाण्डे व अभियुक्त द्वारा मृतक के साथ मारपीट की गई थी। पी.डब्ल्यू 06 की साक्ष्य इससे पूर्णतः भिन्न है। यह असत्य है कि अभिरक्षा हिंसा के मामले में प्रत्येक्ष साक्ष्य व प्रत्येक्ष स्वतंत्र गवाह प्राप्त होने की संभावना कम होती है।इस न्यायालय द्वारा उक्त परिस्थिति को स्टेट ऑफ एमपी बनाम श्यामसुन्दर त्रिवेदी व अन्य [1995] 4 SCC 262 में इंगित किया गया है। उक्त मामले में मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे। वर्तमान मामले में चिकित्सीय साक्ष्य से कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं होना स्पष्ट है।

7. उपरोक्त स्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय में दुर्बलता के आधार पर हस्तक्षेप का कोई कारण उपलब्ध नहीं है।

8. अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सिमरन कौर, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।